न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —54 / 2017 (अपील)

जीसीएमएस न0 2017 / 00126

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

श्रीमती संतोष कंवर पत्नि हनुमान सिंह राजपूत निवासी दादाबाडी कोटा अध्यक्ष एक्सीलेन्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल सोसायटी

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 150 दिनांक 09.03.2009 ग्राम बोराबांस

उपस्थिति

1. पेरोकार सरकार
3. श्री नन्दसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराबांस में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी खसरा नं0 398 रकबा 0.37 हे0 में से 0.29 हे0 भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 30.01.2009 से संपरिवर्तन की गई थी, आदेश की पालना में तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 9.3.2009 से खसरा नम्बर 398 की 0.37 हे0 भूमि का नामान्तरकरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर स्वीकृत किया गया ।
2. तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त नामान्तरकरण को त्रुटिपूर्ण बताते हुए यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5.10.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ज़िला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक / प.2 ग(2) राजस्व 2 / 08 / 480 दिनांक 30.01.2009 द्वारा खसरा नम्बर 398 रकबा 0.37 हे0 में से 0.29 हे0 भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आदेश जारी किये थे, किन्तु सहवन से 0.29 हे0 के स्थान पर 0.37 हे0 का संपरिवर्तन का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है । नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावें ।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 की ओर से श्री नन्दसिंह हाड़ा का वकालतनामा पेश हुआ, पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी को सुना गया ।
4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 150 वाके ग्राम बोराबांस प0हल्का द्वारा दिनांक 02.03.2009 को दर्ज किया जो तत्कालीन तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 9.3.2009 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तरकरण वाके ग्राम बोराबांस के खसरा नं0 398 रकबा 0.37 हे0 में से सम्बन्धित है जो सम्परिवर्तन आदेश क्रमां / प.2ग(12) राजस्व—।। / 08 / 480 दिनांक 30.01.2009 की अनुपालना में दर्ज किया गया था । मुताबिक सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 30.01.2009 ग्राम बोराबांस के खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हे0 में से 0.29 हे0 (2900 व0मी0) उक्त आदेश से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सपम्परिवर्तन की गई थी किन्तु नामान्तरकरण दर्ज करने की प्रकिया में उक्त खसरे का सम्पूर्ण रकबा ही सम्परिर्वन भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया मुताबिक वर्णित सम्परिवर्तन आदेश ग्राम बोराबांस के खसरा नं0 398 रकबा 0.37 हे0 में से 0.29 हे0 ही सम्परिवर्तित हुई थी शेष रकबा भी सहवन से सम्परिवर्तित में दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है । अतिरिक्त रकबा 0.08 हे0 सहवन से सम्परिवर्तित भूमि में दर्ज रिकार्ड चली आ रही भूमि को उसके पूर्व रूप, कृषि में परिवर्तित करना उचित होगा । अतः नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 11.3.2009 निरस्त फरमाया जावें तथा मुताबिक सम्परिवर्तन आदेश नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत अपील में किये कथनों का समर्थन करते हुए सम्परिवर्तन आदेश का नामान्तरकरण गलत दर्ज होने का कथन किया है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम बोराबांस में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी खसरा नं0 398 रकबा 0.37 हे0 में से 0.29 हे0 भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 30.01.2009 से संपरिवर्तन की गई भूमि के आदेश की पालना में तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 9.3.2009 से खसरा नम्बर 398 की 0.37 हे0 भूमि का नामान्तरकरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज किया गया है जबकि संपरिवर्तन आदेश दिनांक 30.01.2009 से ग्राम बोराबांस की आराजी खसरा नम्बर 398 की रकबा 0.37 हे0 में से 0.29 हे0 ही शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी किन्तु 0.29 हे0 के बजाय सम्पूर्ण रकबा 0.37 हे0 ही संपरिर्तित मानते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है । वकील रेस्पोडेन्ट ने भी प्रस्तुत अपील में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होना माना है । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 11.3.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मुताबिक संपरिर्वतन आदेश दिनांक 30.01.2009 की पालना में संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण एक माह के अन्दर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में संपरिवर्तन के प्रयोजन अनुसार दर्ज कर स्वीकृत किया जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा